

FREE HOLD ~~SALE~~ DEED



Consideration..... 8552/ -
Market value on which stamp duty paid..... 9000/-
No. of stamp sheets..... 1310/- 7 नं. 8
Stamp duty... 1310/- Avas Vikas duty... 50/- Total Stamp paid... 1360/-

Where as I/We.....

ए० आर० रावत, सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी, उ० प्र० आवास
एवं विकास परिषद, देहरादून

am/are the sold/joint proprietors of the property detailed in the end and also
in the possession of the same, do hereby sell to.....
भवन सं. 181 स्व. वि. पो. दून विहार

गोजना, देहरादून

श्री टीनाराम जोशी पुत्र स्व. श्री विष्णुदत्त जोशी 181 दून विहार, दे. दून

for consideration of Rs.....

.....received as follows..... पूर्वाप्त

The property is free from all encumbrances

Details of property.....

181 स्व. वि. पो. दून विहार, देहरादून ।

दिनांक 1

(ए० आर० रावत)

सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

देहरादून कृते आवास आयुक्त

24/10/21



1.
श्री-होल्ड डीड

यह क्लिख आज दिनांक 10 माह मार्च वर्ष 1997 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 के अधीन गठित उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद्वशात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसे जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पदधरक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिती है और सम्मिलित है।
प्रथम पक्ष-----उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं

द्वितीय पक्ष श्री डा. टीकाराम जोशी उम्र 52 वर्ष पुत्र श्री विष्णुदत्त जोशी निवासी 181 इन विहार, देहरादून जिसे कि इस क्लिख में आगे केता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो केता स्वयं उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा। द्वितीय पक्ष में निष्पादित हुआ। ---

3/10/97
(ए० आर० रावत)
संयुक्त प्रबन्ध अधिकारी
उ० आवास एवं विकास परिषद
देहरादून कृते आवास आयुक्त



2/4/97



-2-

चौकि 30प्र0आवास एवं विकास परिषद के द्वारा भूखंड/भवन सं. 18।स्व. वि.
पो. क्षेत्रफल 210.60वर्गमीटर स्थित दून विहार §राजपुर रोड़§देहरादून रु. 61074/-
§रुपये इकसठ हजार चौहत्तर मात्र§के प्रीमियम मूल्य पर 90 वर्ष की अवधि के लिए
पट्टे पर आवंटित किया गया था जिसका लीज रेंट रु. 152.70§रुपये एक सौ बावन
एवं पैसे सत्तर मात्र§प्रतिवर्ष निर्धारित था जो कि उप निबन्धक कार्यालय में बही नं.
01 जिल्द नम्बर 2694 के पृ. 10 में नं. 9788 ए.डी. फाब्रिक सं. 01 जिल्द 3224 केपृष्ठ
सं. 288/308 मुसन्ना नं. 9787 पर दि. 7. 10. 88 पर अंकित है तथावर्तमान समय में
परिषद अभिलेखों में उक्त भूखंड/भवन क्रेता का नाम पट्टेदार के रूप में अंकित है । —

(ए० आर० रावत)

समाप्त प्रबन्ध अधिकारी
उ.प. आवास एवं विकास परिषद
देहरादून कृते आवास आयुक्त



-3-

चूँकि शासनादेश सं. 1639/9-आ-95-मिस॥86 आवास अनुभाग-1 दि. 10.5.95 के द्वारा लीज रेंट जमा करने नवीनीकरण कराने विषय हेतु अभिकरण से पूर्वानुमान प्राप्त करने इत्यादि की समस्याओं से मुक्त करते हुए पट्टे पर आवंटित भूखंड के मूल्य का 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री-होल्ड भूमि के रूप में परिवर्तन किए जाने की अनुमति दी गई है तथा फ्रेता के द्वारा भूमि के मूल्य का 10 प्रतिशत लीज रेंट के रूप में परिषद कोष में जमा किया जा चुका है। उपरोक्त शासनादेश के अनुसार 2 प्रतिशत मूल्य और फ्रेता ने अब जमा कर दिया है जिस की पावती विक्रेता इस विक्रेता के माध्यम से करता है । -----

समाप्त प्रबन्ध अधिकारी
उ.प. आवास एवं विकास परिषद
देहरादून कृते आवास आयुक्त





-4-

अतः पट्टे की भूमि को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करते हुए यह क्लिष्ट निम्न प्रकार से सँदर्भित करता है :-

§18 यह कि जारी उपरोक्त शासनादेश के अनुसार विक्रेता एतद्वारा इसक्लिष्ट के माध्यम से क्रेता/पट्टेदार के पक्ष में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा निष्पादित उपरोक्त पट्टा क्लिष्ट जिसका विवरण एवं निबन्धन ऊपर दिया जा चुका है, की शर्तों को इस सीमा तक शिथिल करते हुए प्रसन्न भूमि को फ्री-होल्ड भूमि के रूप में परिवर्तित किए देता है कि अधिक्रेता/पट्टेदार की लीज रेंट जमा करने, लीज नवीनीकरण कराने, सम्पत्ति के विक्रय या हस्तांतरण पर संबंधित अभिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।---

3/11/11
(ए० आर० रावत)

सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
देहरादून कृते आवास आयुक्त



-5-



-5-

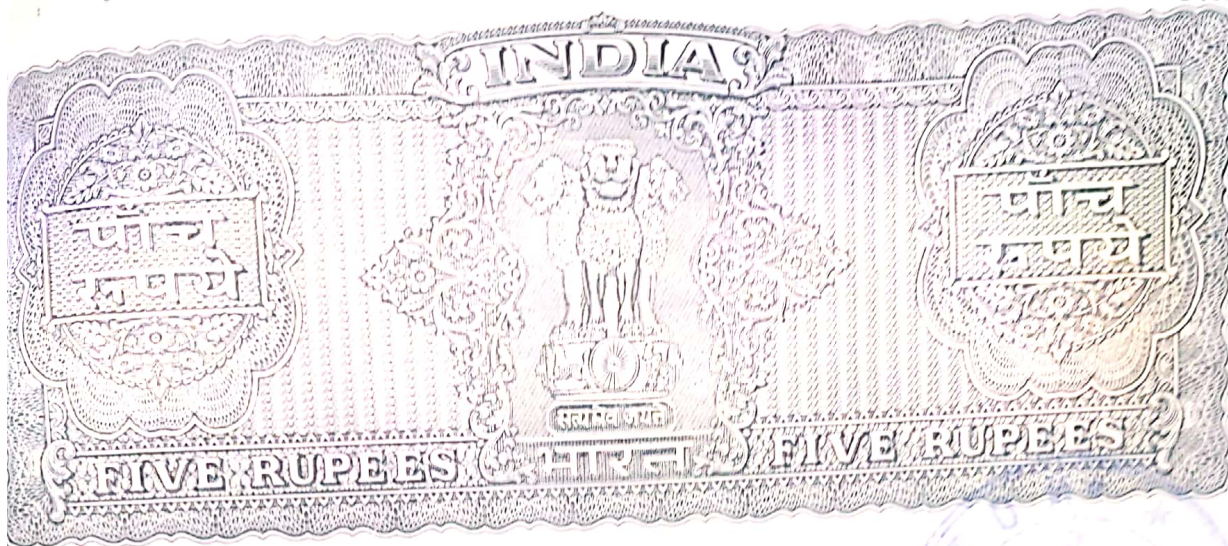
12। यह कि उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्तें जो पट्टा विलेख में अंकित हैं वे यथावत लागू रहेंगी जब तक शासन अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया गया हो ।---

3/10/19
(ए० आर० रावत)
सम्पात प्रधान अधिकारी
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
देहरादून कृते आवास आशुक्त

[Signature]



-6-



-6-

§3§ यह कि प्रश्नगत भूक को पूर्व से ही विधि संगत निबन्धित विक्रेता के फलस्वरूप क्रेता धारित कर रहा है। अतः विक्रेता के मूल्यांकन हेतु रु. 8552/- रुपये आठ हजार पांच सौ बावन मात्र मूल्य निर्धारित किया जाता है जिस पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क की अदायगी कर दी गई है, जिस हेतु रु. 1310/- में स्टाम्प पेपर सं. 7 का प्रयोग किया गया है।

अतः प्रमाण के रूप में इस फ्री-होल्ड डीड को विक्रेता की ओर से श्री ए० आर० रावत, सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी ने परिषद के लिए और उसकी ओर से एवं क्रेता के द्वारा स्वयं उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद कार्यालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

हस्ताक्षर (ए० आर० रावत)
 नाम:- ए० आर० रावत, सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी
 पता:- सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी, शीघ्र परिषद
 देहरादून देहरादून कृते आवास आयुक्त

हस्ताक्षर 22/10/21
 नाम:- टीकाराम जोशी
 पत्र स्व. श्री विष्णुदत्त जोशी
 Y81 दन विहार योजना
 देहरादून

विक्रेता

क्रेता



-7-



-7-

लीज से फ्री-होल्ड में परिवर्तित सम्पत्ति का विवरण

भूखंड/सम्पत्ति सं. 181 सम्पत्ति श्रेणी स्वयं. वि.पो.श्रेणी "ब" योजना एवं नगर का नाम दून विहार राजपुर रोड़ देहरादून स्थित कुल क्षेत्रफल 210.60व.मी. जिस की पूर्वी भुजा की माप 19.50मीटर, पश्चिमी भुजा की माप 19.50मीटर, उत्तरी भुजा की माप 10.80मीटर तथा दक्षिणी भुजा की माप 10.80मीटर है। प्रशस्त सम्पत्ति की सीमाओं निम्न से हैं:-

पूर्व:- भवन सं. 181 स्व. वि.पो.श्रेणी "ब" पश्चिम :- परिषद चाहरदीवारी
उत्तर:- 9मी. चौड़ी सड़क दक्षिण :- 12 मी. चौड़ी सड़क

साक्षीगण

1. हस्ताक्षर

न्यायिक लेखाकार

नाम

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

पता

नं.प्र.आवास एवं विकास परिषद, देहरादून

2. हस्ताक्षर

नाम

पता

लेखाकार

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

नं.प्र.आवास एवं विकास परिषद, देहरादून

क्रिस्ता के लिए और उसकी ओर से
(ए.आर.रावत)

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, नगर विकास आयोग

कृते आवेदन दूना कृते आवास आयुक्त

क्रिस्ता के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षर

नाम:- टीकराम जोशी

पता:- 181 दून विहार देहरादून

TRUE
ATT

ADVOCATE
S. R. RANA

Vicava CHS, Plot No. E-124, 1st m No.13,
Sec-12, New Delhi-110016-410210
Reg. No. 394712020

441/4

24 JAN 1997

6381

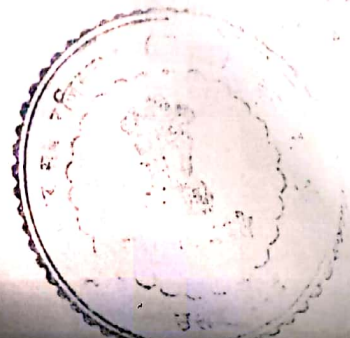
बालिका सं.

विशेष न्यायालय
बालिका विभाग
आदेश नं. 30



बही नं. 1
एंडी० का० नु० 1
29274 को नं० 29274 पर काज दिनांक 19/3/87
को रजिस्ट्री की गई

मह
द्वारा III



TRUE COPY